# कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

| | |
|---|---|
| उपस्थित:- | श्री दीपक कुमार,कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश। |
| प्रार्थी :- | सर्वश्री एक्वा वर्ल्ड , 377 / 6 , पटेल नगर नई मण्डी ,मुजफ्फ़रनगर। |
| प्रा0प0सं0:- | 332/2008 |
| प्रार्थी की ओर से | कोई उपस्थित नही। |

## उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28-07-2008 को प्रस्तुत किया गया जिसमें वाटर प्यूरिफायर मशीन पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2- धारा 59 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि पर कोई उपस्थित नही हुआ अत: प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर आंदेश पारित किया जा रहा है।

3- मैनें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर अंकित तथ्यों का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया गया है कि वाटर प्यूरिफायर मशीन पानी साफ करने के काम आता है। यूनिट मे कोई पावर आदि का प्रयोग नही होता है। वाटर प्यूरिफायर मशीन शिड्यूल -1,2,3 व 4 मे वर्गीकृत नही है अत: शिड्यूल-5 के अन्तर्गत इस पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेय है।

4- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र मे उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

ह0 18-9-2008

दिनांक::सितम्बर 18 2008

**( दीपक कुमार )**
**कमिश्नर, वाणिज्य कर,**
**उत्तर प्रदेश,लखनऊ**

वै० स० ग्रे-I
प्रमाणित प्रतिलिपि